



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2020-श्रावण 2, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती नीलू त्रिपाठी पत्नी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, निवासी म. नं. ए/4, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन भवन भदभदा रोड, भोपाल म.प्र. यह कि मेरी शादी संतोष कुमार त्रिपाठी के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के साथ दिनांक 29-11-2008 में संपन्न हुई है. यह कि शादी के पूर्व मेरा नाम कु. नीलेश शर्मा पुत्री श्री ओमप्रकाश शर्मा, निवासी एच-153, गवर्नमेंट क्वार्टर कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल म.प्र. था. यह कि शादी के बाद मैं, श्रीमती नीलू त्रिपाठी पत्नी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(कु. नीलेश शर्मा)

पुत्री श्री ओमप्रकाश शर्मा.

(108-बी.)

नया नाम :

(नीलू त्रिपाठी)

पत्नी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी,
निवासी म. नं. ए/4, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन भवन,
भदभदा रोड, भोपाल (म. प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स श्री गणेश ग्रेनाईट, पता-अखिलेश मालवी सी-1, फार्च्युन डिलाइट अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल, पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00437/14, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं. Shri Mnoj S, Tumne S/o Shri Shriram Tumne, Address Post-Narkhedi, Tehsil Narkheda, District Nagpur (Maharashtra) दिनांक 06-09-2018 से भागीदारी फर्म से पृथक् हुए हैं.

विनोद शर्मा,

(एडवोकेट)

पता-17, मालवीय नगर, भोपाल.

(106-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. क्वालिटी इन्जीनियरिंग एवं इन्सुलेशन प्रोडक्ट्स जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 925/1969-70, दिनांक 12-09-1969 है. जिसमें श्रीमती स्मिता अग्रवाल पत्नी श्री मनीष अग्रवाल, निवासी ई-5/87, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, दिनांक 07-07-2020 को नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही हैं पूर्व भागीदार यथावत हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मै. क्वालिटी इन्जीनियरिंग एवं इन्सुलेशन प्रोडक्ट्स,

मनीष अग्रवाल,

(भागीदार)

पता-गोविंदपुरा, भोपाल.

(107-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर, जिला शाजापुर

प्र.क्र.01/बी-113/2018-19.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-5(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1952 का नियम-5(1) देखिए]

पंजीयक लोक न्यास शाजापुर, जिला शाजापुर के समक्ष.

चूंकि सर्व यादव समाज कल्याण समिति, शाजापुर की ओर से अधिकृत अध्यक्ष श्री मुकेश यादव आत्मज श्री मदनलाल जी यादव, निवासी-62/18 नाग-नागिनी रोड, शाजापुर द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत जो कि सत्य सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करना और सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य सामाजिक गतिविधियां सम्पन्न कराना, गौशाला का उत्थान एवं गौशालाओं का संचालन करना, देवी विपत्ति, अनावृष्टि, बाढ़, अकाल, भूकम्प पीड़ित बन्धुओं की जन सहयोग के माध्यम से यथासंभव सेवा एवं सहायता करना. राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के द्वारा विभिन्न धार्मिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर सहयोग प्राप्त करना. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, सहायता आदि के रूप में द्रव्य एवं सामग्री एकत्रित करना. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय-समय आवश्यक कदम उठाना, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की स्वयं सेवा संस्था, व्यक्तियों, दानदाताओं एवं फाउन्डिंग एजेन्सी तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार से सहयोग लेना एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना गतिविधि स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया. जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शाई गई है. सर्व संबंधित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो व इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट “अ”

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण

नगदी राशि मात्र 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र)

परिशिष्ट “ब”

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण

निरंक

आज दिनांक 26 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(659)

साहेबलाल सोलंकी,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, उपखण्ड चांचौड़ा, जिला गुना

चांचौड़ा, दिनांक 29 जून, 2020

प्र.क्र. 02/बी-133/2020-21/774.

प्ररूप क्र. 4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, उपखण्ड चांचौड़ा, जिला गुना के समक्ष

यतः कि 1. श्री गजेन्द्र सिंह चौहान, अध्यक्ष, 2. श्री बहादुर सिंह राजपूत, उपाध्यक्ष, 3. श्री केशव सिंह चौहान, सचिव, 4. श्री सुजीत सिंह गौर, कोषाध्यक्ष एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्य क्षत्रिय राजपूत सेवा संगठन, वार्ड क्रमांक-1, चांचौड़ा, तहसील चांचौड़ा, जिला गुना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में क्षत्रिय राजपूत सेवा संगठन, चांचौड़ा, जिला गुना (मध्यप्रदेश) को पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 25 अगस्त, 2020 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	क्षत्रिय राजपूत सेवा संगठन, चांचौड़ा, जिला गुना (म. प्र.)
लोक न्यास का पता	:	वार्ड नं. 01, टेकरी मोहल्ला, चांचौड़ा, जिला गुना (म. प्र.)
चल सम्पत्ति	:	सूची मुताबिक 59 सामग्री
अचल सम्पत्ति	:	नहीं

(657)

चांचौड़ा, दिनांक 29 जून, 2020

प्र.क्र. 01/बी-133/2020-21/775.

प्रारूप क्र. 4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, उपखण्ड चांचौड़ा, जिला गुना के समक्ष

यतः कि न्यासधारी 1. श्री रामकरण काकाणी, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी, 2. राधेश्याम मीना, सहायक प्रबंध ट्रस्टी, 3. श्री सुरेन्द्र कुमार कांसट ट्रस्टी, 4. बैजनाथ धाकड़, ट्रस्टी, 5. बनवीर मीना, ट्रस्टी, 6. रामकिशोर शर्मा, ट्रस्टी, 7. हरिशंकर शर्मा, ट्रस्टी निवासी कुंभराज, तहसील कुंभराज ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में गायत्री परिवार ट्रस्ट, कुंभराज, जिला गुना (मध्यप्रदेश) को पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 25 अगस्त, 2020 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	गायत्री परिवार ट्रस्ट, कुंभराज, जिला गुना (म. प्र.)
लोक न्यास का पता	:	गायत्री शक्तिपीठ, कुंभराज, जिला गुना (म. प्र.)
चल सम्पत्ति	:	सूची मुताबिक 59 सामग्री
अचल सम्पत्ति	:	कस्बा कुंभराज, तहसील कुंभराज स्थित भूमि सर्वे क्र. 615, रकबा 0.324 हे. में से 0.045 हे. भूमि यानि 60 फीट चौड़ी, पूर्व से पश्चिम 80 फीट लम्बी, उत्तर से दक्षिण जिस पर गायत्री मंदिर यज्ञ शाला एवं 4 हॉल बने हैं, इनकी अनुमानित कीमत 30,00,000/- है.

राजीव समाधिया,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(658)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, मैहर, जिला सतना

प्र. क्र. 01/बी 113/20-21.

प्रारूप क्रमांक-5

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक मैहर जिला के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है-

अब इसलिये मैं, सुरेश कुमार अग्रवाल, लोक न्यासों का पंजीयक, मैहर जिला मेरे न्यायालय में 2020 के 20 जुलाई, 2020 के दिवस पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

एतद्वारा सूचना-पत्र दिया गया है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध को, हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता : गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा गायत्री शक्तिपीठ,
शारदा मंदिर रोड, मैहर, जिला सतना (म.प्र.).

सम्पत्तियों का विवरण :

ट्रस्ट प्रापर्टी का विवरण

1. बैंक बैलेंस नगद	1,50,134/-
2. फर्नीचर	5,000/-
3. कार्पेट 6	20,000/-
4. पूजा के बर्तन (पंचपात्र आरती इत्यादि)	1,500/-
5. स्टील के बर्तन	5,000/-
6. टीन का बड़ा बाक्स	2,500/-
7. आद्य शक्ति मां गायत्री जी की 100 साड़ियां व मुकुट	50,000/-
8. मोटर पंप व टण्की	19,000/-
9. सीलिंग पंखे	10,000/-
10. लाउड स्पीकर	10,000/-
11. ज्ञानरथ 1 नग	20,000/-
12. पुस्तकालय	20,000/-
13. हवन सामग्री	10,000/-
कुल कीमत . .	3,23,134/-

(तीन लाख तेईस हजार एक सौ चौत्तीस रु. मात्र)

अचल सम्पत्ति : निरंक

सुरेश कुमार अग्रवाल,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(660)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर शहडोल, वनमण्डल

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

उप-वनमण्डलाधिकारी के मांग पत्र क्रमांक/503, दिनांक 24 अप्रैल, 2019 के परिपालन में भूमिस्वामी श्री संदीप तिवारी साकिन, छकता, पट्टा आराजी खसरा नं.-548 एवं 554 में कटी ईमारती काष्ठ 930 नग, 132.803 घ.मी. को पासिंग हेतु पासिंग हैमर क्रमांक ³⁹²SL जरिये चालान नं. 35/1704, दिनांक 16 मई, 2019 से श्री दिलीप मिश्रा, वनपाल परिक्षेत्र सहायक अमझोर को प्रदाय किया गया। उक्त हैमर संबंधी द्वारा उप-वनमण्डल कार्यालय जयसिंहनगर में न देकर वन भ्रमण एवं फड झारा, बचहा का निरीक्षण हेतु चले गये जिसके कारण उक्त हैमर मोटर साईकल से गुम गया, जिसकी सूचना आवेदक द्वारा दिनांक 17 मई, 2019 को वनपरिक्षेत्राधिकारी, अमझोर को दी गई। वनपरिक्षेत्राधिकारी, अमझोर द्वारा उक्त सूचना उप-वनमण्डलाधिकारी, जयसिंहनगर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसे पत्र क्रमांक/677, दिनांक 22 मई, 2019 द्वारा प्रेषित किया गया।

श्री दिलीप मिश्रा, वनपाल परिक्षेत्र सहायक, अमझोर द्वारा पासिंग हैमर गुमने की सूचना थाना प्रभारी जयसिंहनगर को दिनांक 16 मई, 2019 को दी गई। प्रकरण प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/2554, दिनांक 03 जून, 2019 द्वारा श्री मिश्रा वनपाल को कारण बताओ सूचना-पत्र परिक्षेत्राधिकारी अमझोर के माध्यम से प्रेषित किया गया संबंधी को उक्त पत्र दिनांक 04 जून, 2019 को प्रदाय करते हुये पावती मय दिनांकित हस्ताक्षर के पत्र क्रमांक/763, दिनांक 04 जून, 2019 से परिक्षेत्राधिकारी, अमझोर द्वारा प्रेषित की गई जो वनमंडल कार्यालय में दिनांक 21 जून, 2019 को प्राप्त हुआ।

श्री मिश्रा वनपाल, परिक्षेत्र सहायक, अमझोर द्वारा अपना बचाव उत्तर परिक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 29 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत किया गया, जो वनमंडल कार्यालय में उप-वनमण्डलाधिकारी, जयसिंहनगर के माध्यम से पत्र क्रमांक/70, दिनांक 14 जनवरी, 2020 से प्रेषित किया गया, जो इस कार्यालय में दिनांक 14 जनवरी, 2020 को प्राप्त हुआ। प्राप्त उत्तर का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि श्री मिश्रा द्वारा पासिंग हैमर उप-वनमण्डल कार्यालय, जयसिंहनगर खुला न होने के फलस्वरूप मोटर साईकल की डिक्की में रखकर तेन्दूपत्ता संग्रहण के दौरान फड झारा, बचहा निरीक्षण के लिये साथ ही कक्ष क्र. आर.-493 का निरीक्षण करना बताया गया है, आकर डिक्की देखी गई तो पासिंग हैमर नहीं था। पासिंग हैमर को चौकीदार व स्टाफ के साथ ढूँढने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं मिला, तत्पश्चात् पासिंग हैमर गुमने की सूचना उनके द्वारा थाना प्रभारी जयसिंहनगर को दिनांक 16 मई, 2019 को दी गई।

उक्त प्रकरण में समग्र दस्तावेजों का सूक्ष्मता से अवलोकन व परीक्षणोंपरांत/विचारोपरांत गुमे पासिंग हैमर न मिलने के फलस्वरूप वन वित्तीय नियम की धारा-124 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में करते हुये निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :-

आदेश

आ. क्र./172

शहडोल, दिनांक 06 जून, 2020

श्री दिलीप मिश्रा, वनपाल, परिक्षेत्र सहायक, अमझोर को भूमिस्वामी के पट्टे आराजी खसरा क्रमांक-548 एवं 554 में कटी काष्ठ के पासिंग हेतु हैमर प्रदाय किया गया। उप-वनमण्डल कार्यालय जयसिंहनगर में जमा न करने के कारण कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता बरते जाने पर शासकीय पासिंग हैमर की कीमत राशि रु. 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) वन वित्तीय नियम की धारा-124 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पासिंग हैमर की राशि रु. 500/- वसूली तथा गुमशुदा पासिंग हैमर आकृति को शासकीय दस्तोवेजों में अभिलेखित किया जाता है। राशि आगामी माह के वेतन से एकमुश्त वसूल की जावेगी।

श्री दिलीप मिश्रा, वनपाल, परिक्षेत्र सहायक, अमझोर द्वारा प्रदाय पासिंग हैमर को समय से उप-वनमण्डल कार्यालय जयसिंहनगर में न जमा करना शासकीय कार्य में लापरवाही व शिथिलता बरती जाने के फलस्वरूप संबंधी को भविष्य के लिये सचेत किया जाता है।

उक्त दर्शित आकृति का हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो उक्त हैमर को निकटतम पुलिस थाना जयसिंहनगर या उप-वनमण्डल कार्यालय जयसिंहनगर में तत्काल जमा करें। यदि कोई व्यक्ति उक्त आकृति के हैमर को अवैधानिक रूप से अपने पास रखते हुये प्रयोग करते हुये पाया जावेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजन चलाया जावेगा तथा अपराध सिद्ध होने पर व दण्ड का भागीदार होगा।

गुमशुदा हैमर (चिन्ह) आकृति निम्नानुसार दर्शित है :-



(661)

देवांशु शेखर,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल

बैतूल, दिनांक 03 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/583.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2020/222,221,218,216,233,237,239,242,245,246,254, दिनांक 30 जनवरी, 2020 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएं विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 17-02-2020 तक अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर चाहा गया था:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	वि.ख.
1.	जिला सह. भूमि विकास बैंक कर्म. साख सह. संस्था मर्या., बैतूल	1339/24-05-1996	बैतूल

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	वि.ख.
2.	समर्थ बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., बैतूल	1762/14-07-2014	बैतूल
3.	अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., मोतीवार्ड, बैतूल	1562/13-07-2007	बैतूल
4.	मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., खण्डारा	1639/30-10-2010	बैतूल
5.	बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., जूनावानी	1837/11-03-2016	बैतूल
6.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बरसाली	1671/1-2-2012	बैतूल
7.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., काजी जामटी	1672/1-2-2012	बैतूल
8.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., दनोरा	1609/28-02-2009	बैतूल
9.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., उडदन	1635/30-06-2010	बैतूल
10.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, सिहारी	1725/03-12-2013	बैतूल
11.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, मोरडोगरी	1720/06-07-2013	बैतूल

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. एल. राठौर, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(649)

बैतूल, दिनांक 03 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/584.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2020/224, 225, 232, 227, 247, 249, 250, 255, दिनांक 30 जनवरी, 2020 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएं विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 17-02-2020 तक अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर चाहा गया था:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	वि.ख.
1.	जय माँ ताप्ती बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., गुबरेल	1833/04-03-2016	आमला
2.	जय किसान बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., डुडरिया	1831/27-01-2016	आमला
3.	जय धनगौरी बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., केकडिया	1834/04-03-2016	आमला
4.	जय भेरम बाबा बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., खारी	1835/04-03-2016	आमला
5.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., तिरमहू	1494/20-12-2004	आमला
6.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., छिपन्यापिपरिया	1655/27-08-2011	आमला
7.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., केहलपुर	1488/28-12-2003	आमला
8.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., तरोडाबुजुर्ग	1553/18-04-2007	आमला

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, आमला को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(650)

बैतूल, दिनांक 03 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/585.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2020/228, 229, 234, 236, 243, 252, 241, 226, 235, 248, दिनांक 30 जनवरी, 2020 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएं विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 17-02-2020 तक अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर चाहा गया था:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	वि.ख.
1.	माँ दुर्गा जैविक खाद एवं बीज उत्पा. क्रय-विक्रय सह. संस्था मर्या., इकलहरा	1848/21-06-2016	पटटन
2.	पंढरीनाथ बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., सिरखेड	1830/18-01-2016	पटटन
3.	जैविक खाद एवं बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सह संस्था मर्या., छिन्दखेडा	1818/01-09-2016	पटटन
4.	शा. बहु. उ.म.वि. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., प्रभातपटटन	610/25-08-1962	पटटन
5.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., धाबला	1479/22-01-2004	पटटन
6.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., चरूड	1687/22-03-2012	पटटन
7.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सालईढाना	1348/17-03-1996	पटटन
8.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., निम्बोटी	1491/07-11-2014	मुलताई
9.	वसुन्धरा जैविक खाद एवं बीज उत्पा. क्रय-विक्रय सह. संस्था मर्या., जौलखेडा	1820/11-09-2015	मुलताई
10.	शा. बहु. उ.म.वि. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., मुलताई	794/30-05-1964	मुलताई

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सी. एल. डोगरे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(651)

बैतूल, दिनांक 03 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/586.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2020/223, 238, 240, 253, 231, 244, दिनांक 30 जनवरी, 2020 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएं विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 17-02-2020 तक अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर चाहा गया था:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	वि.ख.
1.	नागदेव मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., झीटूढाना	1632/26-06-2010	भीमपुर

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	वि.ख.
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., डोल	1732/04-03-2014	भीमपुर
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., जामुनपानी	1733/04-03-2014	भीमपुर
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., चिखलीबक्का	1832/04-03-2016	भीमपुर
5.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मालीपुरा	1724/28-10-2013	चिचोली
6.	सोनी जैविक खाद एवं बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सह. संस्था मर्या., चिचोली.	1849/20-09-2016	चिचोली

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्रीमति पूनमसिंह, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652)

बैतूल, दिनांक 03 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/587.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2020/230, 251, दिनांक 30 जनवरी, 2020 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएं विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 17-02-2020 तक अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर चाहा गया था:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	वि.ख.
1.	सिद्धि विनायक बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., कोडीढाना	1845/12-04-2016	भैसदेही
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., चिचोलीढाना	1810/05-06-2015	भैसदेही

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री युवराज ठाकरे, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(653)

बैतूल, दिनांक 03 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/588.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2020/220, 219, 256, दिनांक 30 जनवरी, 2020 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएं विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 17-02-2020 तक अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर चाहा गया था:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	वि.ख.
1.	प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., सारणी	1614/12-10-2009	धोडाडोगरी

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	वि.ख.
2.	सतपूडा परिवहन सह. संस्था मर्या., पाथाखेडा	1538/30-08-2006	धोडाडोगरी
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सेहरा	1877/27-01-2018	शाहपुर

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सहदेव परतेती, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654)

बैतूल, दिनांक 03 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/589.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2020/217, दिनांक 30 जनवरी, 2020 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएं विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 17-02-2020 तक अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर चाहा गया था:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	वि.ख.
1.	जयबजरंग ईट उद्योग सह. संस्था मर्या., पांढुर्णा	1606/07-07-2010	आठनेर

उक्त संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस संस्था को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री हरिओम गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. व्ही. सोरते,

उप-पंजीयक.

(655)

कार्यालय सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 01 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/क्यू--उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन/आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिरलाय, तह. बड़वाह.	245/01-12-2014	560/06-03-1981	बड़वाह	मनोहर वास्कुले, सह. वि. अधि., बड़वाह.

1	2	3	4	5	6
2.	जनजाति वन श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, कोदवार, तह. बड़वाह.	245/01-12-2014	382/06-11-1962	बड़वाह	मनोहर वास्कले, सह. वि. अधि., बड़वाह.
3.	मॉ नर्मदा साख सहकारी समिति मर्यादित, बड़वाह, तह. बड़वाह.	345/05-03-2014	1164/02-05-1998	बड़वाह	मनोहर वास्कले, सह. वि. अधि., बड़वाह.
4.	विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बड़वाह, तह. बड़वाह.	345/05-03-2014	615/02-12-1957	बड़वाह	मनोहर वास्कले, सह. वि. अधि., बड़वाह.
5.	मॉ मैकल मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वाह, तह. बड़वाह.	318/24-02-2020	2294/28-02-2019	बड़वाह	मनोहर वास्कले, सह. वि. अधि., बड़वाह.
6.	सहकारी वितरण सभा मर्यादित, नागाझिरी, तह. गोगांवा.	806/02-07-2013	1174/23-10-1948	गोगांवा	मनोहर वास्कले, सह. वि. अधि., गोगांवा.
7.	इन्दिवती सिंचाई सहकारी समिति मर्यादित, बिस्तान, तह. गोगांवा.	806/02-07-2013	486/09-11-1972	गोगांवा	मनोहर वास्कले, सह. वि. अधि., गोगांवा.
8.	तेल उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गोगांवा, तह. गोगांवा.	806/02-07-2013	58/18-02-1959	गोगांवा	मनोहर वास्कले, सह. वि. अधि., गोगांवा.
9.	चर्मकार सहकारी समिति मर्यादित, उमरखली, तह. गोगांवा.	806/02-07-2013	087/04-12-1962	गोगांवा	मनोहर वास्कले, सह. वि. अधि., गोगांवा.
10.	चर्मकार सहकारी समिति मर्यादित, दाउदखेडी, तह. गोगांवा.	806/02-07-2013	185/11-03-1963	गोगांवा	मनोहर वास्कले, सह. वि. अधि., गोगांवा.
11.	चर्मकार सहकारी समिति मर्यादित, बड़गांव, तह. गोगांवा.	806/02-07-2013	24/01-03-1966	गोगांवा	मनोहर वास्कले, सह. वि. अधि., गोगांवा.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक, खरगौन एवं परिसमापक उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) एवं आपत्तियां मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यावाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां, समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मनोहर वास्कले,

(656)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, टिकराटोला (खोहरी), पंजीयन क्रमांक 831, दिनांक 18 जनवरी, 2011 विकासखण्ड नैनपुर को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परिसमापन/2018/1412, दिनांक 06-09-2018 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. पी. तिवारी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 02 जून, 2020 का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अतः मैं, राजेश उइके, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, टिकराटोला (खोहरी) का परिसमापन आदेश क्रमांक/स.पं.म./परिसमापन/2018/1412, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 को निरस्त करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक श्री पी. पी. तिवारी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 22 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(663)

राजेश उइके,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 15 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2020/491.—जिले में स्थित लता ग्रामीण महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, अमझोर, पंजीयन क्रमांक 969, दिनांक 28 जून, 1999 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आम सभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के तहत लता ग्रामीण महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, अमझोर, पंजीयन क्रमांक 969, दिनांक 28 जून, 1999 का पंजीयन निरस्त करती हूँ। यह भी आदेश देती हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कारपोर्ट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 15 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(664)

शहडोल, दिनांक 15 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2020/492.—जिले में स्थित कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छपराटोला, पंजीयन क्रमांक 1158, दिनांक 27 अगस्त, 2015 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के तहत कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छपराटोला, पंजीयन क्रमांक 1158, दिनांक 27 अगस्त, 2015 का पंजीयन निरस्त करती हूँ। यह भी आदेश देती हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कारपोर्ट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 15 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665)

शकुन्तला ठाकुर,
उपायुक्त सहकारिता.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 09 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/691.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2463, दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 के द्वारा नवदुर्गा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुड़ावल, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2075 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवदुर्गा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुड़ावल, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2075 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(666)

जबलपुर, दिनांक 09 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/692.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2461, दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 के द्वारा विकास बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुरुजी, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2069 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकास बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुरुजी, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2069 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(667)

जबलपुर, दिनांक 09 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/693.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/1391, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पनागर, वि. खं. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1867 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री नरेन्द्र सोनकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पनागर, वि. खं. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1867 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(668)

जबलपुर, दिनांक 09 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/694.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2459, दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 के द्वारा उन्नति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भीटाकला, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2070 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्नति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भीटाकला, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2070 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(669)

जबलपुर, दिनांक 09 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/696.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2457, दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 के द्वारा इन्द्रप्रस्थ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंजई, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2040 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्द्रप्रस्थ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंजई, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2040 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(670)

जबलपुर, दिनांक 09 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/697.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/32, दिनांक 04 जनवरी, 2016 के द्वारा प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बनखेड़ी, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2073 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान

परिसमापक श्री योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बनखेड़ी, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2073 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(671)

जबलपुर, दिनांक 09 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/698.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/349, दिनांक 11 फरवरी, 2016 के द्वारा ओमशंकर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तलाड, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2053 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओमशंकर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तलाड, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2053 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(672)

जबलपुर, दिनांक 09 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/699.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2460, दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 के द्वारा हलधर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिन्नी, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2068 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हलधर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिन्नी, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2068 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(673)

जबलपुर, दिनांक 09 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/700.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/31, दिनांक 04 जनवरी, 2016 के द्वारा जय दुर्गे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जुझारी, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2071 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय दुर्गे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जुझारी, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2071 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(674)

जबलपुर, दिनांक 09 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/701.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/3488, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के द्वारा जयदीप महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1506 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्रीमती माया मालिनी ऐंथोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयदीप महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1506 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(675)

जबलपुर, दिनांक 10 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1092.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2172, दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुहारी, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुहारी, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1989 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 10 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(676)

जबलपुर, दिनांक 10 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1093.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि./2174, दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रानीताल, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1953 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रानीताल, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1953 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 10 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(677)

जबलपुर, दिनांक 10 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1094.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि./2170, दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मादा, वि. खं. पाटन, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2137 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मादा, वि. खं. पाटन, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2137 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 10 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(678)

जबलपुर, दिनांक 10 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1095.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि./2203, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जुझारी उमरिया, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जुझारी उमरिया, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1994 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 10 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(679)

जबलपुर, दिनांक 10 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1096.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि./2202, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिमरिया आलासुर, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिमरिया आलासुर, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1988 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 10 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680)

जबलपुर, दिनांक 10 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1097.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि./2173, दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गठौरा, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1964 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गठौरा, वि. खं. मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1964 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 10 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शिवम् मिश्रा,

उप-पंजीयक.

(681)

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

साई भोला साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन

पंजीयन क्रमांक 1929, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री जितेन्द्र भावसार,

पता-भावसार मोहल्ला, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया

जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
 - (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
 - (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुम्बिक दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(644)

मुकेश जैन,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/602.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 518, दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिरियाखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 2021, दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(682)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/603.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1484, दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धरसी, जिसका पंजीयन क्रमांक 468, दिनांक 28 अगस्त, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(683)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/604.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 737, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कस्ता खाचरौद, जिसका पंजीयन क्रमांक 1912, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(684)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/605.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 85, दिनांक 11 जनवरी, 2018 द्वारा माँ चामुण्डा बीज उत्पादक सहकारी संस्था रूपाहेडा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2218, दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. के. परसाई को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(685)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/606.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 556, दिनांक 08 मार्च, 2013 द्वारा पटेल बीज उत्पादक एवं सहकारिता मर्या., चकरावद, जिसका पंजीयन क्रमांक 87, दिनांक 26 सितम्बर, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(686)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/607.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 737, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झांझाखेडी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1914, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(687)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/608.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 द्वारा क्षिप्रा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानवासा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2126, दिनांक 04 अगस्त, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(688)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/609.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2825, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपिलियासीस, जिसका पंजीयन क्रमांक 2213, दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689)

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2020-श्रावण 2, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2020

1. मौसम एवं वर्षा:—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिलीमीटर में प्रतिवेदित की गई है.

2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :- जुलाई बंद है.
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- बोनी बंद है.
4. धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- रोपाई बंद है.
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
7. अन्य असामयक घटना से छति :- कोई छति नहीं.
8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

[illegible]

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
4.	ग्वालियर :		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. . .	6.(अ). .	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.	
		ग्वालियर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		डबरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		भितरवार	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		चीनोर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		घाटीगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
5.	दतिया :		..	..	..	..	..	..	गन्ना	..	..	अधिक	10%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सेवढ़ा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		दतिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		इन्दरगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		बढौनी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		भाण्डेर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
6.	शिवपुरी :		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		शिवपुरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		पिछोर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		खनियाधाना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		नरवर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		करैरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		कोलारस	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		पोहरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		बैराढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		बदरवास	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
7.	अशोकनगर :		..	..	..	..	..	..	गन्ना	..	..	अधिक	55%	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		मुँगावली	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		ईसागढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		अशोकनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		चन्देरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नई सराय	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पिपरई	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		शाढोरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
8.	गुना :	गुना राघोगढ़ बमोरी आरोन चाचौड़ा मकसूदनगढ़ कुम्भराज													5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
9.	टीकमगढ़ :	निवाडी पृथ्वीपुर जतारा टीकमगढ़ बल्देवगढ़ पलेरा खरगापुर मोहनगढ़ लिधौरा ओरछा													5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
10.	छतरपुर :	गौरीहार नौगांव छतरपुर राजनगर बीजावर बड़ा मलहरा महाराजपुर चंदला धुवारा लवकुशनगर बक्सवाहा						तुअर			कम	15%			5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10		
11.	पन्ना :	अजयगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. . .	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		पन्ना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		गुन्नौर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		पवई	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		रैपुरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		अमानगंज	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		देवेन्द्रनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		सिमरिया	..	..	..	..	#REF!	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		शाहनगर	..	..	..	..	#REF!	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		जयस्थान नगर	..	..	..	..	#REF!	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
12.	सागर :	बीना	11.62	..	..	..	..	गन्ना	..	..	अधिक	..	सुधरी हुई	10%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		खुरई	17.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		बण्डा	2.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		सागर	12.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		रेहली	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		देवरी	9.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		गढ़ाकोटा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		राहतगढ़	4.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		कंसली	25.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		मालथोन	7.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
13.	दमोह :	शाहगढ़	16.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		हटा	..	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	40%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बटियागढ़	..	..	..	..	..	..	उड़द	..	..	अधिक	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		दमोह	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पथरिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		जवेरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		तेन्दूखेड़ा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
पटेरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
14.	सतना :	रघुराजनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		मझगवां	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रामपुर (ब.)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नागौद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		उचेहरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		अमरपाटन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रामनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मैहर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		कोठर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बिरसिहपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
15.	रीवा :		..	..	..	..	..	तुअर	..	..	कम	15%	समान	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		त्यौंथर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सिरमौर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मऊगंज	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		हनुमना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		हुजूर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गुढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मनगवां	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सेमरिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		जवा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नईगढ़ी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रायपुर (कर्चु)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16.	शहडोल :		..	..	..	..	..	तुअर	..	..	अधिक	5%	सामान्य	..	5.अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सोहागपुर	9.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		ब्यौहारी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		जयसिंहनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बुढ़ार	12.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गोह पारू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		जैतपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
24.	उज्जैन :	खाचरौद महिदपुर तराना घटिया उज्जैन बड़नगर नागदा													5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
25.	आगर :	बड़ौद सुसनेर नलखेड़ा आगर													5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.
26.	शाजापुर:	मोमन (बड़े) शाजापुर शुजालपुर कालापीपल पोलायकलां अबंतीपुर- बड़ौदिया गुलाना													5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
27.	देवास :	सोनकच्छ टोंकखुर्द देवास बागली कन्नोद हाटपिपल्या सतवास उदयनगर खातेगांव													5. ..	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
28.	झाबुआ :	थांदला	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. . .
		मेघनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पेट्लावद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		झाबुआ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		राणापुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रामा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
29.	अलीराजपुर :	जोवट	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		अलीराजपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		कट्टीवाड़ा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सोंडवा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		उदयगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		चन्द्रशेखर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		आ. नगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		भामरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
30.	धार :	बदनावर	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	15%	सुधरी हुई	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		सरदारपुर	..	..	..	..	..	चना	..	..	कम	25%	सुधरी हुई	..	..	..	..	..	..
		धार	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		कुक्षी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मनावर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		धरमपुरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गंधवानी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		डही	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पीथमपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
31.	इन्दौर :	देपालपुर	..	..	..	..	..	चना	..	..	कम	5%	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सांवेर	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	50%	..	..	..	..	..	..	..
		इन्दौर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गौतमपुरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		महू (अम्बे.)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

[illegible]

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
36.	राजगढ़ :	राजगढ़ जीरापुर खिलचीपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़		..	..	..	..	गेहूँ	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
37.	विदिशा :	लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्यौंदा पठारी ग्यारसपुर		..	..	..	..	गेहूँ	..	..	..	..	सुधरी हुई	20%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
38.	भोपाल :	बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
39.	सीहोर :	सीहोर आष्टा इछावर नसरुल्लागंज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी		..	..	..	..	गन्ना गेहूँ	..	..	कम अधिक	..	सामान्य सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
40.	रायसेन :	रायसेन गैरतगंज बेगमगंज गोहरगंज बरेली सिलवानी बाड़ी सुल्तानपुर उदयपुरा		..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	25%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
41.	बैतूल :	बैतूल भैंसदेही घोडाडोंगरी शाहपुर चिचोली मुल्ताई आठनेर आमला प्र.पटनम	 5.0 4.0 .. 4.1	..	..	..	..	गेहूँ चना	..	..	अधिक अधिक		सुधरी हुई सुधरी हुई	5% 5%	5.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
42.	होशंगाबाद :	होशंगाबाद सिवनी- मालवा बावई इटारसी सोहागपुर पिपरिया बनखेड़ी डोलरिया पचमढ़ी		..	..	..	..	गेहूँ गन्ना	..	..	अधिक कम	15% 30%	सामान्य समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ) . .	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
43.	हरदा :	हरदा खिड़किया सिराली रेहटगांव हंडिया टिमरनी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
44.	जबलपुर:	आधारताल कुण्डम सीहोरा पाटन मझौली शाहपुरा		..	..	..	..	गोहूँ	..	..	अधिक	10%	सुधरी हुई	5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
45.	कटनी :	बहोरीबंद ढीमरखेड़ा रीठी बड़वारा मुड़वारा (क) विजयराषवगढ़ बरही		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
46.	नरसिंहपुर :	नरसिंहपुर गोटेगांव करेली गाडरवारा तेंदूखेड़ा		..	..	..	..	गन्ना गोहूँ	..	..	कम अधिक	10% 15%	..	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

[illegible]

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
51.	बालाघाट :			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लाँजी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	किरनापुर			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बैहर			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	वारासिवनी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कटंगी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लालबर्ग			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तिरोडी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	परसवाड़ा			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बिरसा			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खैरलाँजी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(648)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.